तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3129/2005/नागौर** **नरेन्द्र कुमार बनाम हरकरण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.2021	**खण्डपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **श्री गणेश कुमार, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री जी0एस0लखावत, अभिभाषक अपीलांट श्री एस0पी0सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर दिनांक 24.03.2005 व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना दिनांक 30.08.2002 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0संख्या 1 व 2 ने स्वंय को मंदिर मूर्ति का उपासक बताकर एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188 व 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत परीक्षण न्यायायल सहायक कलेक्टर, डेगाना के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम जाखेडा में स्थित कृषि भूमि ख0न0 221 रकबा 75 बीघा 13 बिस्वा , ख0न0 222 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा व ख0न0 196 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि है यह भूमि मंदिर मूर्ति की है। नरेन्द्र कुमार के पूर्वज रामप्यारी में मिलावट से स्वंय के नाम भूमि दर्ज करवाली तथा रामप्यारी के बाद नरेन्द्र कुमार ने भूमि स्वयं के नाम दर्ज करवाली तथा भूमि किसी को मुंतकिल कर दी तो मूर्ति मंदिर की आय का जरिया समाप्त हो जायेगा। इसलिए वाद में घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश पारित किया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद पत्र एवं प्रतिवादी के आधार पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेने के उपरांत अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2002 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर लिया। जिससे ग्रसित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.05	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिकी/टी0ए0/3129/2005/नागौर** **नरेन्द्र कुमार बनाम हरकरण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

से खारिज कर दी गयी। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रामप्यारी बनाम जीवण के मामले में राजस्व मंडल तक इन्ही खसरा नंबर पर दस्तावेजी जिसमें गिरदावरी, खतौनी व जबानी साक्ष्य पर विस्तृत विवेचन करते हुये रामप्यारी के पक्ष में निर्णय जारी किया और उसी अनुपालना में रामप्यारी व उसके उत्तराधिकारी अपीलांट नरेन्द्र कुमार का नाम दर्ज हुआ। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट नरेन्द्र कुमार ही विवादित आराजी का एक मात्र खातेदार है जो विगत 50 वर्षो से काबिज काश्त है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 के बारे में पारित निष्कर्ष पूर्णतया राजस्व मंडल के पूर्व निर्णय की अवमानना में पारित किया गया है क्योंकि जो बिन्दु इस तनकी में अंकित है ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ क्योंकि वादीगण को अभिलेख की प्रविष्टि अवैध होना साबित करना थातथा प्रविष्टि जो राजस्व मंडल के निर्णय की पालना क्रम में अंकित की गयी थीउसे अवैध किसी भी प्रकार से साबित नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों जो निर्णय पारित किया वह पूर्णतया अवैधानिक व विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मंदिर मूर्ति के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। क्योंकि समस्त दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित था कि विवादित आराजी पर कब्जा काश्त अपीलांट का लगातार रहा है तथा जो व्यक्ति कब्जे काश्त में हो उसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का कोई आधार नहीं है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजी शुरू से ही मूर्ति मंदिर की भूमि रही है। मु0 रामप्यारी व उसके पति स्व. किशनदास तो मंदिर के पुजारी थे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3129/2005/नागौर** **नरेन्द्र कुमार बनाम हरकरण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मंदिर मूर्ति की तरफ से पुजारी ही भूमि की काश्त करते है। पुजारी को मंदिर की भूमि में कभी कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। राजस्व अभिलेख में खातेदारी का इन्द्राज मूर्ति मंदिर के नाम था। परन्तु मु0 रामप्यारी ने राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों से मिलकर राजस्व अभिलेख से मूर्ति मंदिर की भूमि के नाम की खातेदारी हटवाकर अपने नाम अंकित करवाली। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की निजी खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को निजी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की ही खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत बताते हुये प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विवेचन व विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में मूर्ति मंदिर रूगनाथ जी के अंकित है। अपीलांट केवल मात्र मंदिर का पुजारी है और उसी आधार पर मंदिर की आराजी को काश्त करता आ रहा है। अपीलांट ने मूर्ति मंदिर की भूमि को राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों से मिलकर राजस्व अभिलेख से मूर्ति मंदिर के नाम की खातेदारी हटवाकर अपने नाम अंकित करवाली। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की निजी खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को निजी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/3129/2005/नागौर** **नरेन्द्र कुमार बनाम हरकरण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की ही खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ ने 2015(4) आर0एल0डब्ल्यू0(राज0)पेज 2721 तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के समय कृषक के कालम में किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो तो जमाबंदी में अभिलिखित कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें और यदि कृषक के कालम में खुदकाश्त दर्ज हो तो आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। आराजी मूर्ति मंदिर की ही मानी जावेगी और उस पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर एडर्वस पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय पारित किये है। इन समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय में कोई महत्पूर्ण विधिक त्रुटि या अनियमितता पाया जाना प्रमाणित नहीं होता है, जिसके आधार पर इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके।

परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 24.03.05 व 30.08.02 बहाल रखे जाते है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(रामनिवास जाट)
सदस्य